

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर

(प्रशिक्षण निदेशालय)

क्रमांक- 5240-5228

दिनांक- 28-07-2015

स्थाई आदेश संख्या- 11 / 2015

रिक्रूट कानिस्टेबल चालक का प्रारम्भिक प्रशिक्षण (बैसिक)

1. ~~अभी तक~~ रिक्रूट कानि० ड्राइवर का 09 माह का आधारभूत प्रशिक्षण एवं 03 माह का बेसिक ड्राइविंग एवं मेण्टीनेन्स कोर्स पृथक-पृथक आयोजित किया जाता था, जिससे न केवल प्रशिक्षण की अवधि काफी लम्बी होती थी बल्कि कुछ बिन्दु कानि० ड्राइवर के लिए प्रासंगिक नहीं थे। अतः रिक्रूट कानि० ड्राइवर के आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण किया गया। अब रिक्रूट कानि० ड्राइवर का आधारभूत प्रशिक्षण व बेसिक ड्राइविंग एवं मेण्टीनेन्स कोर्स एक साथ आयोजित किया जावेगा जिसकी अवधि 36 सप्ताह की होगी।
2. यह पाठ्यक्रम राजस्थान पुलिस की आवश्यकताएं एवं चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुये नव कानिस्टेबल ड्राइवर के प्रारम्भिक प्रशिक्षण में सुधार हेतु मेरे द्वारा मुख्यालय स्तर पर उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित की गई गठित कमेटी द्वारा विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श एवं इन्डोर, आउटडोर एवं परिवहन (एम.टी.) के सभी विषयों के विभिन्न आयामों एवं पहलुओं का गहनता से अध्ययन करवाकर वर्तमान पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।
3. नवीनतम पाठ्यक्रम में बी०पी०आर०एण्ड डी० एवं बी०एस०एफ अकादमी, टेकनपुर द्वारा तैयार किये गये पाठ्यक्रम की सहायता ली जाकर राजस्थान राज्य के स्थानीय अधिनियमों एवं नियमों को ध्यान में रखते हुये राजस्थान पुलिस की समसामायिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किया गया है। पाठ्यक्रम में पुलिस के कानि. चालक के मूलभूत कर्तव्यों के व्यावहारिक पक्ष पर विशेष ध्यान दिया गया है।
4. यह स्थाई आदेश राजस्थान पुलिस में नव नियुक्त कानिस्टेबल चालक के प्रारम्भिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्रदान करता है। नव कानिस्टेबल चालक के प्रशिक्षण को नया रूप देने की आवश्यकता थी जिससे उन्हें शारीरिक रूप से दक्ष बनाया जा सके उनके ज्ञान कौशल में वृद्धि करने जिसमें अनुशासन, नवीनतम विधिक ज्ञान एवं नई अवधारणाएं जैसे व्यावहारिक दक्षता, वर्तमान में पुलिस की कार्य प्रणाली एवं आधुनिक वाहनों का तकनीकी एवं व्यवहारिक कौशल के विषय सम्मिलित किये गये हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नव कानिस्टेबल चालकों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सक्षम बनाना है। ताकि उन्हें सौंपे गए उत्तरदायित्वों को ये सुचारु रूप से पूरा कर सकें तथा साथ ही उन्हें अनुशासनबद्ध, व्यावसायिक रूप से दक्ष तथा शारीरिक एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा सकें। पी.टी. आउटडोर, इण्डोर एवं एम.टी.पाठ्यक्रम संलग्न है।
5. अवधि:- प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण की कुल अवधि 9 माह(270 दिवस) की होगी। इस अवधि में मध्यावधि एवं अंतिम परीक्षाएं, जंगल कैम्प एवं पांसिंग आउट परेड भी सम्मिलित है।
6. प्रशिक्षण प्रक्रिया: प्रारम्भिक प्रशिक्षण के दौरान पढाए जाने वाले विषयों एवं पाठ्यक्रम को प्रश्न पत्र प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण (पी.टी.), द्वितीय एवं तृतीय (आउटडोर), चतुर्थ एवं पंचम (इण्डोर), षष्ठम, सप्तम, अष्टम एवं नवम (बैसिक एम०टी०) सम्बंधी विषयों को समाविष्ट किया गया है। आउटडोर प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण प्रभारी (आउटडोर) द्वारा किया जायेगा जिनकी सहायतार्थ मुख्य ड्रिल इन्सट्रक्टर होंगे। इण्डोर प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण प्रभारी (इण्डोर) द्वारा किया जायेगा जिनकी सहायतार्थ मुख्य विधि अनुदेशक होंगे। एम०टी० (परिवहन) प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण प्रभारी संचित निरीक्षक प्रशिक्षण (एम०टी०) द्वारा किया जायेगा जिनकी सहायतार्थ एम०टी० प्रशिक्षक होंगे। प्रशिक्षण निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक अपने विषय की विशेष जानकारी रखते हों साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि नव नियुक्त आरक्षक चालकों की प्रशिक्षण में प्रगति संतोषजनक रहे। संस्था प्रमुख व प्रभारी(इण्डोर/आउटडोर/एम०टी०) प्रशिक्षण पर गहन पर्यवेक्षण रखें तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि नव कानिस्टेबल चालक पूर्ण एवं वृहद रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करें। संस्था प्रधान प्रभारी इण्डोर/आउटडोर/एम०टी० की अनुशंसा पर विभिन्न यूनिट, संगठनों से व्यावसायिक रूचि के विषयों पर अतिथि व्याख्यान हेतु अधिकारियों की व्यवस्था करेंगे।
7. प्रशिक्षणार्थी को अंतिम परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक वह पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में नियुक्त समयावधि में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त न कर ले। इण्डोर व आउटडोर एवं एम०टी० में 90 प्रतिशत

8838
30/9/15

उपस्थिति अनिवार्य है । इसमें असफल रहने पर उसे अंतिम परीक्षा देने से विवर्जित कर दिया जायेगा । ऐसे प्रशिक्षणार्थी की सेवा समाप्ति पर विचार या आगामी बैच के साथ प्रशिक्षण में शामिल करने का आदेश दिया जा सकेगा । ऐसे उपर्युक्त प्रकरणों में जिनमें 90 प्रतिशत से उपस्थिति कम है, उनमें अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) 5 प्रतिशत की छूट ऐसे प्रशिक्षणार्थियों के स्वयं के प्रार्थना पत्र एवं संस्था-प्रधान की अनुशंसा पर प्रदान कर सकेंगे ।

8. प्रत्येक विषय की 100 अंकों की एक त्रैमासिक परीक्षा आयोजित होगी । इन परीक्षाओं के अंक अंतिम परीक्षा के प्राप्तांकों के योग में नहीं जोड़े जायेंगे किन्तु परीक्षा में यदि रिक्रूट चालक 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करता है तो उसे प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाकर उसमें वांछित सुधार लाने का प्रयास किया जायेगा । रिक्रूटस चालक की मध्यावधि परीक्षाएँ संस्था प्रमुख द्वारा गठित बोर्ड द्वारा ली जायेगी । मध्यावधि परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र 03 घण्टे का होगा । अन्तिम परीक्षा 09 माह के प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त प्रशिक्षण निदेशालय पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर से गठित बोर्ड द्वारा आयोजित की जावेगी बोर्ड निम्नलिखित पदाधिकारियों का होगा -


1.	महानिरीक्षक पुलिस	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	कमाण्डेन्ट	सदस्य सचिव
4.	ऑटोमोबाईल इन्जिनियर	सदस्य

अन्तिम परीक्षा प्रत्येक इण्डोर, आउटडोर एवं एम.टी. विषयों के लिए पृथक- पृथक 45 प्रतिशत उत्तीर्णांक होंगे तथा सम्पूर्ण परीक्षा उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत होंगे ।

9 परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस की अवधि में ही परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा ।

10. छूट-इस स्थाई आदेश की किसी भी शर्त में छूट महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा प्रदान की जावेगी ।


11. ऑटोमोबाईल इंजीनियर बोर्ड में एम.टी. संवर्ग के प्रश्न पत्र III, IV, V, VI में सदस्य होंगे ।



(मनोज भट्ट)
महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस ए.सी.बी. राजस्थान जयपुर ।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर ।
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ।
4. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर
5. समस्त महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर
7. प्रधानाचार्य आरपीटीसी जोधपुर ।
8. कमाण्डेन्ट पीटीएस जोधपुर/किशनगढ़/खैरवाड़ा/झालावाड़/बीकानेर/ भरतपुर/अलवर/
पीएमडीएस बीकानेर ।
9. पुलिस अधीक्षक केन्द्रीय भण्डार पुलिस मुख्यालय राज. जयपुर ।



महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर

रिकूट कानि.ड्राईवर प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1.	प्रशिक्षण अवधि	270 दिवस (09 माह / 36 सप्ताह)
2.	रविवार व अवकाश	72 दिवस
3.	मध्यावधि परीक्षा / फायरिंग	06 दिवस
4.	मध्यावधि अवकाश	06 दिवस
5.	जंगल कैम्प	06 दिवस
6.	अंतिम परीक्षा एवं पी.ओ.पी.	20 दिवस
7.	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध दिवस	160 दिवस
8.	कार्य दिवस— प्रति सप्ताह (राजपत्रित अवकाश के अलावा)	08 दिवस
9.	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कुल कालांश (कालांश अवधि—40 मिनट)	
	अ. शारीरिक प्रशिक्षण(फौ.टी.) (1 कालांश प्रतिदिन)	160X1= 160
	ब. 1 खेल 80 कालांश (01 कालांश प्रतिदिन) 2 अभिरुचि 80 कालांश	160X1= 160
	स. आउटडोर कालांश (02 कालांश प्रतिदिन)	160X2= 320
	द. इण्डोर कालांश	320
	3. एम.टी. 1. सैद्धान्तिक (वाहनो का मरम्मत रखवाव एवं अभियान्त्रिकी सिद्धान्त) 2. वाहन चालन व सतर्कता के सिद्धान्त (Driving & Traffic Theory) 3. वाहन संधारण तथा दोष निवारण (व्यावहारिक) (Maintenance of Vehicles & Fault finding) 4. वाहन चालन (व्यावहारिक)	640
	कुल कालांश (अ,ब,स,द,3)	1600

इण्डोर एवं एम0टी0 के प्रतिदिन कुल 06 कालांश होंगे । प्रशिक्षण की समयसारणी बनाते समय यह ध्यान रखा जावे कि प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध 160 दिवस में इण्डोर एवं एम0टी0 के कालांश को निम्नानुसार बांटा जावे:-

क्र0सं0	प्रशिक्षण काल	इण्डोर कालांश	एम0टी0कालांश
1.	प्रथम 60 दिवस	$60 \times 3 = 180$	$50 \times 3 = 150$
2.	तत्पश्चात् 40 दिवस	$40 \times 2 = 80$	$40 \times 4 = 160$
3.	अंतिम 60 दिवस	$60 \times 1 = 60$	$60 \times 5 = 300$
	कुल 160 दिवस	320 कालांश	610 कालांश

पी.टी., आउटडोर, इण्डोर, एम.टी. विषय

प्रश्नपत्र	विषय	अंक	कालांश
1	भारतीय संविधान, आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका, पुलिस संगठन एवं पुलिस की कार्य प्रणाली,	100	160
2	भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य विधि और स्थानीय एवं विशेष अधिनियम	100	160
3	सैद्धान्तिक (गाड़ियों का रखरखाव एवं अभियान्त्रिकी सिद्धान्त)	100	107
4	वाहन चालन यातायात के सिद्धान्त (नोनटैक्निकल थ्योरी)	100	44
5	वाहन संधारण तथा दोष निवारण (व्यवहारिक) (मैन्टीनेन्स ऑफ व्हीकल एण्ड फाल्ट फाइंडिंग)	90	116
6	वाहन चालन (व्यावहारिक)	अंक	373
	लम्बी दूरी तक वाहन चलाना	30	
	कम दूरी तक वाहन चलाना	35	
	निर्णय	10	
	क्लच एवं गियर का प्रयोग	5	
	रिवरसिंग तथा उँचे नियम में वाहन चलाना (Driving in reverse & O.D.)	10	
		90	
7	शारीरिक प्रशिक्षण	100	160
8	ड्रिल	100	160
9	हथियारों का ज्ञान एवं मस्कट्री	100	160
10	विशिष्ट अभिरूचि		80
11	खेल		80
12	कमाण्डेन्ट द्वारा आंतरिक मूल्यांकन	20	
	कुल योग	900	1600

प्रश्न-पत्र - I

भारतीय संविधान, आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका, पुलिस संगठन एवं पुलिस की कार्यप्रणाली
कालांश-160 व अंक- 100

अ - भारतीय संविधान :

(कालांश-12, अंक-10)

क्र.स.	विषय	कालांश
1.	मूल अधिकार	08
2.	पुलिस बल के अधिकारों पर निर्बन्धन (अनुच्छेद 33)	02
3.	मूल कर्तव्य	01
4.	अनुच्छेद 311	01

ब- मानवाधिकार व पुलिस की भूमिका

(कालांश-10 अंक-08)

1.	मानवाधिकार की अवधारणा और इसका महत्त्व	02
2.	राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग,	02
3.	मानवाधिकार संरक्षण में पुलिस की भूमिका	02
4.	जिला प्रशासन में पुलिस की भूमिका एवं अन्य विभागों के साथ पुलिस के संबंध	02
5.	न्यायालयों का परिचय: • सर्वोच्च न्यायालय • उच्च न्यायालय व • अधीनस्थ न्यायालय	02

स - पुलिस संगठन और प्रशासन :

(कालांश-46, अंक-25)

क्र.स.	विषय	कालांश
1.	भारतीय पुलिस का इतिहास	02
2.	केन्द्रीय पुलिस संगठन : • सीआरपीएफ • बीएसएफ • आईटीबीपी • सीआईएसएफ • आरपीएफ • आईडी • सीबीआई • एसएसबी	5
3.	राज्य पुलिस का संगठन • पुलिस मुख्यालय • रेंज कार्यालय • पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वृत्त कार्यालय, पुलिस थाना (परिचयात्मक) • सी.आई.डी. (सी.बी.) • सी.आई.डी. (एस.एस.बी.) • राजस्थान सशस्त्र दल (आर0ए0सी0 / एम0बी0सी0)	20

	<ul style="list-style-type: none"> राजकीय रेल्वे पुलिस (जी०आर०पी०) एन्टी टैररिस्ट स्क्वाड (ए०टी०एस०) स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस०ओ०जी०) राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एस०सी०आर०बी०) पुलिस दूरसंचार एरुडोआरएफ 	
4	राजस्थान में पुलिस कमिश्नर प्रणाली	03
5	<ul style="list-style-type: none"> विभिन्न संगठनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए०सी०बी०) विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ०एस०एल०) गृह रक्षा दल व नागरिक सुरक्षा जेल प्रशासन अपेक्षित सेवा 	05
6	<ul style="list-style-type: none"> पुलिस एवं सेना के रैंक एवं बैजेज अधिकारियों, विशिष्ट व्यक्तियों के वाहनों पर लगाने वाले झण्डे, तारे एवं चिन्ह 	02
7	<ul style="list-style-type: none"> सेवा नियम - सेवा संबंधी- वर्दी, विभिन्न उपकरण, शस्त्र एवं गोला बारूद, अनुशासन, पुरस्कार, दण्ड, पदोन्नति एवं अवकाश, कल्याणकारी उपाय, शिकायतों के निवारण संबंधी प्रावधान राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 (नियम 4, 4ए, 7, 9, 18, 21, 23) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 (नियम 13, 14, 15, 16, 17, 19) राजस्थान सेवा नियम - नियम 85 	09

द. व्यक्तित्व विकास:-

कालांश - 8 अंक -05

क्र.स.	विषय	कालांश
1	अ - सम्प्रेषण दक्षता	02
2	ब - नेतृत्व क्षमता	02
3	स - टीम भवना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	02
4	द - पुलिस छवि व नैतिकता	02

इ - पुलिस थाना प्रबन्धन व कार्यप्रणाली

कालांश - 26 अंक - 20

क्र.स.	विषय	कालांश
1	पुलिस स्टेशन पर सन्तरी ड्यूटी आरपीआर 1948 नियम 202,203	02
2	पुलिस स्टेशन पर आने वाले व्यक्तियों के साथ व्यवहार	02
3	गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ व्यवहार व पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्तियों के साथ बरती जाने वाली सावधानियां	02
4	पुलिस दूरसंचार प्रणाली परिचय व वायरलेस ड्यूटी	01
5	रेडियो टेलिफोनो (कॉल साइड प्रक्रिया, उपकरण) डेमो एवं प्रायोगिक दूर संचार संदेश लेखन	01
6	कंट्रोल रूम एवं पुलिस मोबाइल	01
7	संचार के आधुनिक तरीके	01
8	संदेश देने की प्रक्रिया	01
9	संचार स्थल की सुरक्षा व अपराध अनुसंधान में तथ्य का महत्व	02
10	साक्ष्य का संकलन	02

11.	बीट प्रणाली का परिचय आरपीआर 1965 नियम 2.28	01
12.	अपराधों की रोकथाम में बीट प्रणाली का महत्व	02
13.	बीट बुक की जानकारी व संधारण	01
14.	समन/वारन्ट की तामील प्रक्रिया	03
15.	सामुदायिक सम्पर्क समूह का गठन एवं भूमिका	02
16.	अपराधों की रोकथाम में सीएलजी का महत्व	02

र - कानून व्यवस्था व अपराधों की रोकथाम

कालांश - 18 अंक अंक- 10

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	गश्त का महत्व एवं सामान्य सिद्धान्त	02
2	गश्त के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें	01
3	इबिश घेराबन्दी व तलाशी का अर्थ, साधारण सिद्धान्त	02
4	इबिश घेराबन्दी व तलाशी के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें	01
5	नाकाबन्दी के सामान्य सिद्धान्त व पिकेट ड्यूटी	02
6	मोबाईल ट्रेकिंग एवं सैल फोन डाटा का अनुसंधान में उपयोग	02
7	निगरानी की परिभाषा प्रकार व महत्व	02
8	भीड़ के प्रकार भीड़ की संख्या का अनुमान लगाना भीड़ की मंशा का पता लगाना, विभिन्न प्रकार की भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस की संवेदनशीलता विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के साथ।	04
9	जनता के साथ पुलिस का अन्वहार सामान्य शिष्टाचार एवं आचरण	02

स - सुरक्षा व आसूचना तथा पुलिस लाईन

कालांश - 18 अंक- 10

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	आसूचना का अर्थ व प्रकार	02
2	वीआईपी की सुरक्षा के सिद्धान्त एक्सेस कंट्रोल व एन्टी सबोटॉज चैकिंग	02
3	एयरपोर्ट / हेलीपैड स्थास्थल, रुट तथा निवास स्थान पर व काफिला ड्यूटी व वीकल सर्च	02
4	ट्रेजरी गार्ड ड्यूटी व अन्य गार्ड ड्यूटी के दौरान कर्तव्य (आरपीआर 1943 के नियम 143, 146, 147, 150, 152-155, 157-162, 165, 170)	05
5	एस्कोर्ट एवं चालानी गार्ड ड्यूटी (अ) बंदी को कोर्ट/जेल ले जाने के दौरान आरक्षी की एस्कोर्ट ड्यूटी (ब) अस्पताल गार्ड ड्यूटी के दौरान सन्तरी के कर्तव्य (आरपीआर 1948 के नियम 173, 174, 177) (स) बैंक से नकदी एवं मूल्यवान् कोष की एस्कोर्ट के दौरान आरक्षी की ड्यूटी (द) ट्रेन/बस में एस्कोर्ट ड्यूटी	04
6	अपराधी के पुलिस अभिरक्षा से भागने से रोकने के उपाय	01
7	अभिरक्षा से बंदी के फरार होने पर एस्कोर्ट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	01
8	कम्पाउंड सर्टिफिकेट व उसका उपयोग	01

प्रश्नपत्र- II

भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य विधि और स्थानीय एवं विशेष अधिनियम

कालांश - 160 व अंक - 100

अ - भारतीय दण्ड संहिता :

(कालांश -75, अंक- 45)

क्र.सं.	शीर्षक	धाराएं	कालांश
1.	सामान्य स्पष्टीकरण	21,34	02
2.	दण्ड	75	01
3.	सामान्य अपवाद	76-95,96-99,100-103,105,106	8
4.	दुष्प्रेरण	107-109	02
5.	अपराधिक बडयंत्र	120क, 123ख	01
6.	राज्य के विरुद्ध अपराध	121, 124क	01
7.	लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध	141-149, 153क, 159, 160, 283	07
8.	मिथ्या साक्ष्य एवं लोक न्याय के विरुद्ध अपराध	186,191-193, 201, 211,212 223, 224, 225	04
9.	लोक स्वास्थ्य क्षेम, सुविधा, शिष्टता एवं सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध	279, 292-294	04
10.	मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध	299, 300, 302, 304,304क,304ख, 306-309, 319,320,323-328,332, 333, 336-338, 339-342,, 353, 354, 358, 359-366, 366क, 375, 376, 376ख, 376ग, 376घ, 377	25
11.	सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध	378-384, 390-399, 401, 402, 411 419, 420, 425, 427, 441, - 448, 451, 452, 454, 457-460	15
12.	पति व उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता	498 क	01
13.	अपराधों को करने का प्रयत्न	509-511	02
14.	भारतीय दण्ड संहिता में नवीनतम संशोधन		02

ब - स्थानीय एवं विशेष अधिनियम

(कालांश 33, अंक 15)

क्र.सं.	शीर्षक	धाराएं	कालांश
1.	मोटर यान अधिनियम 1988	2, 119, 133, 177, 179, , 183, 192, 194, 202, 204.	04
2.	नॉइज कन्ट्रोल एक्ट	2-6,8	02
3.	राजस्थान धूम्रपान निषेध अधिनियम	7 / 11,9 / 11	02
4.	आयुध अधिनियम 1959	2,3 / 25,4 / 25,39	02
5.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989	3, 4	02
6.	राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950	16 / 54, 19 / 54	02
7.	राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश 1949	3, 4, 5, 13	02
8.	<ul style="list-style-type: none"> • राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 • राजस्थान पुलिस नियम 2008 • राजस्थान पुलिस नियम 1945 • राजस्थान पुलिस नियम 1955 	<ul style="list-style-type: none"> • धारा 2,29-41,43,55,60,61,62 • नियम 7,8,9,12,13,14 • सामान्य परिचय • सामान्य परिचय 	16

व - यातायात नियमन एवं प्राथमिक चिकित्सा

(कालांश 22, अंक-12)

क्र.सं.	विषय	कालांश
1.	यातायात नियमन का परिचय	01
2.	यातायात नियन्त्रण उपकरण एवं डिवाइसेज, यातायात संकेत व संकेतक	03
3.	यातायात सम्बन्धी अपराध एवं चालान प्रक्रिया	01
4.	यातायात ड्यूटी के दौरान आचरण	01
5.	चौराहों पर यातायात नियमन	01
6.	वाहनों का अन्तावरोध (इन्टरसेप्शन)	01
7.	दुर्घटना स्थलों की सुरक्षा, न्यायिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखना जैसे रिक्ड मार्कस, यातायात डाइवर्जन आदि	02
8.	दुर्घटना पीड़ितों को राहत-दुर्घटना पीड़ितों की प्राथमिक उद्धार एवं उन्हें अस्पताल पहुंचाना	01
9.	यातायात जाम के दौरान ड्यूटी	01
10.	राजमार्ग पर यातायात प्रबन्धन	01
11.	सड़क सुरक्षा शिक्षा	01
12.	यातायात पुलिस का संगठन एवं कार्य	01
13.	आपदा प्रबन्धन में पुलिस की भूमिका	02
14.	बचाव एवं राहत प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकम्प, चक्रवात आदि अन्य आपदाएं-सूखा, तूफान, ज्वालामुखी, भूस्खलन, सुनामी आगजनी की घटनाएं एवं गंभीर दुर्घटनाएं	03
15.	प्राथमिक चिकित्सा अर्थ एवं इसका महत्व	02

क्र.सं.	शीर्षक	धाराएं	कालांश
1.	परिभाषाएं	2(क),(ग),(घ),(छ),(ज),(ठ),(ण),(ब), (भ)	03
2.	विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्तियां मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता	36-38	02
3.	व्यक्तियों की गिरफ्तारी	41-60,60क	10
4.	सम्मन	61-69	03
5.	वारंट एवं उद्घोषणाएं	70-83	05
6.	चीजें पेश करने के लिये सम्मन,तलाशी वारंट एवं तलाशी सम्बन्धी प्रावधान	91,97,98,100,102	04
7.	परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति	106-110	04
8.	लोक व्यवस्था बनाए रखना	129,130,132,133,144,145	05
9.	पुलिस के निवारक कार्य	149,150,151	02
10.	पुलिस को सूचना एवं उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां	154-156,174,176	04
11.	जमानत के बारे में उपबन्ध	436-438	03
12.	दण्ड प्रक्रिया संहिता में नवीनतम संशोधन		02

द - साक्ष्य अधिनियम :

कालांश 05, अंक-05

क्र.सं.	शीर्षक	धाराएं	कालांश
1.	साक्ष्य अधिनियम का सामान्य परिचय	सामान्य परिभाषाएँ 3 -तथ्य दस्तावेज, साक्ष्य, साक्षित,नासाक्षित,साक्षित नहीं हुआ धारा 27 साक्ष्य अधिनियम	02
		मृत्युकालीन घोषणा 22 (1)आरपीआर 1965 नियम 6.22	01
		विशेषज्ञों की राय धारा 45	01
		प्राथमिक एवं द्वितीय साक्ष्य 61,62,63,65	01

नोट :- भारतीय दण्ड संहिता पढाये जाने का मुख्य उद्देश्य नव आरक्षक को अपराध की प्रकृति एवं दण्ड विधान से अवगत कराना है ताकि वह समाज में गठित होने वाली घटनाओं एवं कृत्यों का मूल्यांकन वैधानिक प्रावधानों के सन्दर्भ में कर सकें। धाराओं की सामान्य जानकारी दी जानी है और जहाँ कई स्थानों में दण्डात्मक धाराओं के साथ परिभाषा को भी समझाना होगा जो पाठ्यक्रम में उल्लेखित नहीं है किन्तु प्रशिक्षण स्थलों स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों को समझाने हेतु आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अध्ययन कार्य करेंगे।

उपरोक्त स्थानीय एवं विशिष्ट अधिनियमों की सामान्य जानकारी प्रदान किया जाना पर्याप्त है। कोई कृत्य किसे अधिनियम के अन्तर्गत अपराध है, उसमें कार्यवाही के लिये कौन अधिकृत है एवं पुलिस की सीमाएं एवं ऐसे कृत्य/घटना या वस्तु को सामने देखने पर आरक्षक द्वारा क्या कार्यवाही की जा सकती है आदि बिन्दुओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाना है।

नोट :- दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य विधि में धाराओं का प्रारम्भिक ज्ञान ही प्रदान करना प्रमुख उद्देश्य है ताकि आरक्षक अपराध दण्ड विधान हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं साक्ष्यों का महत्व समझ सकें। व्यक्तियों की गिरफ्तारी एवं इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, सम्मन व वारंट की तामील, परिशान्ति कायम रखने हेतु सदाचार के लिए प्रतिभूति एवं विधि विरुद्ध जमाव आदि बिन्दुओं पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया जाना है। आरक्षकों को गिरफ्तारी, सम्मन एवं वारंट की तामील कैसे की जायेगी का व्यवहारिक ज्ञान कक्षा में प्रायोगिक रूप में दिया जाए। परिशान्ति कायम रखने हेतु सदाचार के लिए प्रतिभूति के इस्तगारों प्रायोगिक रूप से तैयार करवाएँ।

प्रश्न पत्र- III
सैद्धान्तिक (वाहनो का रखरखाव एवं अभियान्त्रिकी सिद्धान्त)
कालांश -107 अंक -100

क्र.सं.	विषय	कालांश
1.	वाहन का परिचय, परिभाषा एवं तकनीकी दृष्टि	02
2.	वाहन के उपकरण, रखरखाव और देखभाल	01
3.	वाहन के आवश्यक भाग	01
4.	इंजन पार्ट्स और उनके कार्य	02
5.	ऑटो साइकिल, फोर स्ट्रोक, टू स्ट्रोक साइकिल की कार्यविधि	03
6.	एस.आई (पेट्रोल) एवं सी.आई. (इंजन) के बीच अन्तर	01
7.	फोर स्ट्रोक एवं टू स्ट्रोक इंजन में अन्तर	01
8.	वाल्व तंत्र	02
9.	इंजन की आपूर्ति प्रणाली और ईंधन पम्प	02
10.	एयर ईंधन अनुपात, कार्बोरेटर, अपने सिद्धान्त और ऑपरेशन	02
11.	बैटरी की देखभाल और रखरखाव	02
12.	एम.पी.एफ.आई. एम0जी0 410/413 आई.एस.जेड.यू. 1800	02
13.	विशिष्टता डाटा एम.जी. 410/413 ए.एम.बी. कार	02
14.	इग्निशन सिस्टम एम.जी. 410/413 ए.एम.बी. कार आई.एस.जेड.यू.	02
15.	लाईट और हॉर्न सर्किट एमजी 413 और एएमबी कार 1800	02
16.	सामान्य रूप से स्नेहल और स्नेहल प्रणाली व आवश्यकता	02
17.	स्नेहल प्रणाली की कार्य विधि	02
18.	स्नेहल प्रणाली एमजी 410/413	02
19.	इंजन कुलिंग सिस्टम की कार्य प्रणाली एमजी 410/413	02
20.	क्लच प्रणाली के सामान्य जानकारी	01
21.	गियर बॉक्स एमजी 410/413 की जानकारी	02
22.	प्रोपेलर शाफ्ट और यू.जे. क्रॉस	01
23.	विभेदक (डीफ्रेन्सीयल) की सामान्य जानकारी	01
24.	एक्सल और धुरा शाफ्ट	02
25.	स्टीयरिंग प्रणाली की सामान्य जानकारी	02
26.	स्टीयरिंग प्रणाली ज्योमेट्री	01
27.	पावर स्टीयरिंग	02
28.	सस्पेंशन सिस्टम की सामान्य जानकारी	02
29.	रोड स्पिरिंग और शोक-अब्जॉर्बर	02
30.	व्हील टायर ट्यूब और उसकी देखभाल और रखरखाव	02
31.	ब्रेक प्रणाली की सामान्य जानकारी (हाईड्रोलिक ब्रेक और यांत्रिक ब्रेक) एमजी 410/413/टाटा 407	02
32.	डिस्क ब्रेक की कार्य प्रणाली	01
33.	ईंधन की आपूर्ति प्रणाली एम.पी.एफ.आई. एमजी 413/एएमबी कार आई.एस.जेड.यू. 1800	02
34.	हवा की सेवन प्रणाली एम.पी.एफ.आई. एमजी 413/एएमबी कार आई.एस.जेड.यू. 1800	01
35.	कुलिंग प्रणाली एम.पी.एफ.आई. एमजी 413/एएमबी कार आई.एस.जेड.यू. 1800	01
36.	लुब्रीकेशन प्रणाली एम.पी.एफ.आई. एमजी 413/एएमबी कार आई.एस.जेड.यू. 1800	01
37.	गियर बॉक्स एम.पी.एफ.आई. एमजी 413/एएमबी कार आई.एस.जेड.यू. 1800	02
38.	विशिष्टता डाटा बोलरो,स्कापिओ, स्वराज माजदा	02
39.	विशिष्टता डाटा 407/1210/कुमिन्स	02
40.	टाटा 1212 का सामान्य परिचय और विवरण (ड.टा.)	01
41.	टाटा 1212/407 का हवा का सेवन और निकास प्रणाली	02
42.	टाटा 1212/407 में ईंधन की आपूर्ति	01
43.	टाटा 407/1212 का फ्रीड पन्थ	01
44.	सामान्य परिचय एफ0आई0पी0 और इंजेक्टर	02

45.	टाटा 407 / 1212 की लाईट और हॉर्न व इस्ट्रूमेन्ट पेनल	02
46.	विशिष्ट डाटा टाटा सुमो / इन्डीका / इन्डीगो / टोयोटा / क्वालिस	02
47.	गियर बॉक्स टाटा 1210 / 1212 टीसी	02
48.	लुब्रीकेशन सिस्टम टाटा 1210 / 1212 / टीसी 407	02
49.	कुलिंग सिस्टम टाटा 1210 / 1212 / टीसी 407	02
50.	कुलिंग सिस्टम फलंशिंग	01
51.	ब्रेक सिस्टम टाटा 1210 / 1212 / टीसी (डीएओएच एयर ब्रेक)	02
52.	असफल सुरक्षित पार्किंग ब्रेक और इंजन निकास ब्रेक	01
53.	गियर टाटा 407	02
54.	ट्रांसफेयर केश के सामान्य कार्य, उपयोगिता (एमजी-410 / 413, टाटा 1212)	02
55.	एमसीईआई का सामान्य परिचय और सामान्य विनिर्देश	01
56.	एमसीईआई के नियंत्रण	01
57.	एमसीईआई में ईंधन की आपूर्ति प्रणाली	01
58.	एमसीईआई का लुब्रीकेशन सिस्टम	02
59.	एमसीईआई का गियर बॉक्स	02
60.	एमसीईआई का इलेक्ट्रिक सिस्टम	02
61.	ऑटोमोबाईल में आधुनिकतम जानकारी	01
62.	ईंधन रेटिंग, ओकटेन और सिटेन नम्बर की जानकारी	01
63.	लैडेड और अनलैडेड पेट्रोल और कैथोलेटिक कन्वर्टर	01
64.	वाहन का प्रदुषण और उसका प्रभाव	02
65.	वल्कीकरण	01
	कुल योग	107

प्रश्न पत्र- IV
विस्तृत पाठ्यक्रम
वाहन चालन यातायात के सिद्धान्त (नोनटेक्निकल थ्योरी)
कालांश - 44 अंक -100

(ए) राज्य परिवहन प्राधिकरण

क्र.सं.	विषय	कालांश
1.	मोटर वाहन अधिनियम परिचय	02
2.	मोटर वाहनों अधिनियम 1988 के तहत रोड संकेत	02
3.	दुर्घटना के कारण एवं उनका उपचार	02
4.	अपराध, दण्ड एवं प्रक्रिया	02
5.	लेन ड्राइविंग और एक्सप्रेस हाइवे	01
6.	नये वाहन के सम्बंध में निर्देश एवं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया	01
7.	अच्छे वाहन चालक के गुण	02
8.	यातायात व्यवस्था नियम मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार तथा नियम 1. अनुज्ञा (Licence) नो.वा.अ. धाराएँ 3,4,5,15,21,23 2. पंजीयन धारा 39,52,60,66 3. वाहनों के संधारण: 109 4. यातायात नियंत्रण: 112,117 से 122,125,127 से 134,136,140 से 146 5. बीमा और सुरक्षा धारा: 146,149,156,157,165 से 175 6. अपराध एवं दण्ड धारा: 180 से 182, 184,185 से 190,196,201,206,207 7. राज.मोटर गाडी नियम	10
	कुल योग	22

(बी) पेट्रोलियम संरक्षण एवं अनुसंधान संघ (पोसीआरआरए)

क्र.सं.	विषय	कालांश
1.	ईंधन बचत की प्रशिक्षण फिल्म	04
2.	ईंधन खर्च का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	01

धिवेध

क्र.सं.	विषय	कालांश
1.	फायर एहतियात एवं चिकित्सा सहायता	02
2.	वाहन दस्तावेज	01
3.	रक्षात्मक ड्राइविंग:- अवधारणा और तकनीक	02
4.	क्रॉस कंट्री ड्राइविंग और सीआई ऑप्स	01
5.	हिल ड्राइविंग और डेक्कर्ट ड्राइविंग	01
6.	कोहरा एहतियात	01
7.	रात्री ड्राइविंग	01
8.	रखरखाव के तरीके और मेन्टीनेन्स टास्क	02
9.	रिकवरी प्रक्रिया डेमो के साथ	06
	कुल	17
	कुल योग	44

प्रश्न पत्र V
वाहन संधारण तथा दोष निवारण (व्यावहारिक)
(मैन्टीनेन्स ऑफ व्हीकल एण्ड फाल्ट फाइंडिंग) कालांश - 116 अंक -90

क्र.सं.	विषय	कालांश
1.	ईंधन की आपूर्ति प्रणाली के दोष व निवारण टाटा 1212/407	05
2.	ईंधन की आपूर्ति प्रणाली के दोष व निवारण जिप्सी/कार/बोलेरो/सूमो	05
3.	कुलिंग सिस्टम के दोष व निवारण	03
4.	इग्निशन सिस्टम के दोष व निवारण एमजी 413/कार/बोलेरो/सूमो	03
5.	गति चालन के दोष व निवारण (कलच)	02
6.	ब्रेक सिस्टम व ब्रेक ब्लीडिंग के दोष व निवारण	03
7.	आपातकाल में कामचलाऊ मरम्मत	04
8.	कुलिंग सिस्टम फ्लशिंग	02
9.	लुब्रीकेशन की पहचान व जानकारी	03
10.	वल्कीनकरण मशीन का प्रयोग	02
11.	एम.पी.एफ.आई. वाहन में दोष व निवारण	10
12.	चैसिस लुब्रिकेशन/सस्पेंशन लुब्रिकेशन की व्यावहारिक जानकारी	02
13.	गियर प्रणाली के दोष व निवारण	02
14.	ट्रान्समिशन प्रणाली के दोष व निवारण	03
15.	एग्जोस्ट प्रणाली के दोष निवारण सिस्टम की व्यावहारिक जानकारी	02
16.	सी.आर.डी.आई. प्रणाली युक्त वाहन के दोष व निवारण	10
17.	पावर स्टेयरिंग के दोष व निवारण	02
18.	वाहनों में प्रयोग में लाये जाने वाले कंट्रोल के दोष निवारण की व्यावहारिक जानकारी	02
19.	कार्बुरेटर एवं इग्निशन प्रणाली के दोष निवारण की व्यावहारिक जानकारी	03
20.	विद्युत प्रणाली के विभिन्न सर्किटों के दोष निवारण	03
21.	ईंधन की आपूर्ति प्रणाली के दोष निवारण टाटा 709/407	04
22.	सस्पेंशन प्रणाली के दोष व निवारण	02
23.	ईंधन की आपूर्ति प्रणाली के दोष व निवारण जीप डी.आई. व कार आई.एस. जेड. यू. 1800	04
24.	इग्निशन सिस्टम के दोष व निवारण मोटर साईकिल, हिरो हॉडा व सूजुकी	03
25.	विद्युत प्रणाली के दोष व निवारण टाटा 407/709	04
26.	विद्युत प्रणाली के दोष व निवारण जीप डी.आई. कार आई.एस.जेड. यू. 1800	04
27.	परिवहन शाखा में उपयोग लिये जाने वाले उपकरणों के रखरखाव व उपयोग को जानकारी	03
28.	टास्क प्रणाली और निरीक्षण डेमो (टैक्निकल) के साथ रखरखाव	04
29.	वाहन के टायर, ट्यूब एवं बैट्री का रखरखाव	05
30.	टायर रोटेशन एवं लोक बुक का संधारण	03
31.	ऑयल बदलना	02
32.	निरीक्षण का डेमो	03
33.	रिविजन	04
	कुल योग	116

प्रश्न पत्र VI
वाहन चालन (व्यावहारिक)
कालांश - 373 अंक -90

क्र.सं.	विषय	कालांश
1.	वाहन के सीट पर बैठना और स्टीयरिंग से नियंत्रण करना	03
2.	खड़े वाहन के पीछले व्हीलों पर जैक लगाना और जैक उतारना	02
3.	ठंडे इंजन को स्टार्ट करने के प्रक्रिया और एस्टूमेनट की जाँच और गियर की बदली	07
4.	वाहन चालन सीट पर बठने और उतरने की कवायद	02
5.	वाहन चालन प्रारम्भ और संस्था ट्रैक व खुले में अभ्यास	15
6.	ट्रैक पर संचालन के दौरान शार्ट ड्राईविंग 4 ^ग गियर के उपयोग	20
7.	ट्रैक पर संचालन के दौरान डीजल वाहन में ईंधन सप्लाई रुकने सम्बंधी कमी	10
8.	ट्रैक पर संचालन के दौरान पेट्रोल वाहन में ईंधन सप्लाई रुकने सम्बंधी कमी	11
9.	ट्रैक पर संचालन के दौरान इग्निशन सिस्टम	11
10.	नॉन इस्कीट चैन अभ्यास (ट्रैक और छोटी ड्राईव करना)	14
11.	ट्रैक एवं खुले मैदान पर ड्राईविंग ओवर टेक करना	13
12.	एफपीएफआई कार/बोलेरो का ट्रैक पर संचालन के दौरान आई नुकसों का निवारण	07
13.	ट्रैक ड्राईविंग के दौरान रिवर्स करते हुये गैरेजिंग करना	27
14.	ट्रैक पर वाहन संचालन के दौरान एमजी 410/413 के दोषों का निवारण	07
15.	आपातस्थिति में अचानक ब्रेक का उपयोग एवं दुर्घटना से बचना	04
16.	निर्देशित बिन्दू पर वाहन रोकना	07
17.	लॉग ड्राईविंग	100
18.	सेमुलेटर ड्राईविंग	12
19.	लॉग/सिटी ड्राईविंग	56
20.	पहाडी ड्राईविंग लॉग ड्राईविंग	20
21.	क्रॉस कन्टी ड्राईविंग ओर सीआई ओपीएस डिफेसीव ड्राईविंग	07
22.	मोटर कैड (काफिला) की ड्राईविंग	14
23.	वाहन का टोचन करना	02
24.	रक्षात्मक ड्राईविंग	02
	कुल योग	373

15

प्रश्न पत्र VII
"अ" शारीरिक प्रशिक्षण -- पुरुष

क्र.स.	विषय	कालांश-160	अंक-100
1.	I कर्नेडियन पीटी 5 बीएक्स प्लान चार्ट नम्बर 1 से 6 तक II PT- RTC	16 16	20
2.	योगासन	7	05
3.	ग्राउण्ड वर्क-- गद्दे पर प्रशिक्षण	12	05
4.	तीनों दर्जे के रस्सों पर प्रशिक्षण	12	10
5.	घोडा (आडा व लम्बा)	12	10
6.	वॉक एवं रन--10 किमी 45,50,55 मिनट (प्रत्येक शनिवार को)	26	10
7.	बीम पर कार्य चिनअप अण्डरग्रिप-6, ओवरग्रिप-4	14	10
8.	असाल्ट--रूकावटें पार करना	18	10
9.	ऊँची कूद (3-5') तथा लम्बी कूद (12-15')	10	10
10.	यू.ए.सी. - Holds, Release, Kicks, Falls	17	10
11.	खेल नियमित	-	-
12.	प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को रात्रि में 16 किमी रूट मार्च करवाया जाएगा।	-	-

"ब" शारीरिक प्रशिक्षण--महिला

क्र.स.	विषय	कालांश-160	अंक-100
1.	I कर्नेडियन पीटी 5 बीएक्स प्लान चार्ट नम्बर 1 से 6 तक II PT RTC	16 16	20
2.	योगासन	7	05
3.	ग्राउण्ड वर्क-- गद्दे पर प्रशिक्षण	12	05
4.	रस्सों पर प्रशिक्षण केवल तीसरा दर्जा	12	10
5.	घोडा -आडा	12	10
6.	वॉक एवं रन--08 किमी 40,45,50 मिनट (प्रत्येक शनिवार को)	26	10
7.	बीम पर बैलेन्स बनाकर चलना	14	10
8.	असाल्ट--कमाण्डो ऑब्स्टेकल व 2 दीवार के अलावा	18	10
9.	ऊँची कूद (2.5', 3', 3.5') तथा लम्बी कूद (10', 11', 12')	15	10
10.	यू.ए.सी. - Holds, Release, Kicks, Falls	17	10
11.	खेल नियमित	-	-
12.	प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को रात्रि में 16 किमी रूट मार्च करवाया जाएगा।	-	-

प्रश्नपत्र- VIII

ड्रिल

क्र.स.	विषय	कालांश-205	अंक-100
1.	खाली हाथ ड्रिल	50	15
2.	हथियार सहित ड्रिल	50	15
3.	राईफल एक्सरसाईज	10	10
4.	केन ड्रिल	05	05
5.	गार्ड ड्यूटीज	20	05
6.	सेरेमोनियल ड्रिल	10	05
7.	कम्पनी ड्रिल एवं प्लाटून ड्रिल	05	05
8.	सम्मान गार्ड	02	05
9.	जाती ड्रिल	08	05
10.	धातुयात संकेत	04	02
11.	बलवा परेड, भीड नियंत्रण (अनियंत्रित भीड के समक्ष आत्म नियंत्रण, समझाइश के तरीके, पथराव पर संयम सहित नियंत्रण के तरीके और बलवा परेड)	20	06
12.	रबट बुलेट, प्लास्टिक पैलेट, प्लास्टिक बुलेट, एन्टी रॉईट गन, वॉटर केनन, वज्र, अश्रु गैस, गैस गन, गैस मास्क (पोली कार्बोनेट) प्लास्टिक ढाल, हेलमेट, केन की जानकारी ।	08	05
13.	फायर फाइटिंग	03	05
14.	रैस्क्यू एवं साल्वेज	06	05
15.	बिगुल कॉल की जानकारी	04	02
16.	टर्न आउट	00	05

प्रश्नपत्र-IX
हथियारों का ज्ञान एवं मस्केट्री

क्र.स.	विषय	कालांश-115	अंक-100
1.	राइफल 303	10	03
2.	5.56 एमएम इन्सास	03	03
3.	राइफल 7.62 एसएलआर	13	03
4.	एलएमजी 303/7.62 एमएम	10	03
5.	9 एमएम स्टेन गन/कारबाइन मशीन	06	03
6.	.22 राइफल, 12 बोर राइफल	8	02
7.	एके 47 एवं एके 56 राइफल	12	03
8.	जी.एफ. राइफल एवं एच.ई-36 ग्रेनेड	02	03
9.	.38 रिवाल्वर, 9 एमएम पिस्टल, ग्लॉक पिस्टल की जानकारी	12	04
10.	विस्फोटक व बम डिस्पोजल (आई.ई.डी, डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज तथा विस्फोटक को इस्तेमाल करना)	04	03
11.	फायरिंग व मस्केट्री	20	60
12.	एम्बुश/काउन्टर एम्बुश, पैट्रोलिंग	03	03
13.	वी.आई.पी. सुरक्षा (प्रेक्टिकल) (अ) ऐन्टी सबोटेज चैक (ब) हाउस प्रोटेक्शन ड्यूटी (स) व्हीकल सर्व (द) समारोह स्थल की सुरक्षा	05	04
14.	एस्कॉर्टिंग (कैश,आर्म्स एवं एम्युनेशन)	02	03

प्रशिक्षण के दौरान निम्नानुसार फायरिंग अभ्यास होगा

- 12 वें सप्ताह में 10 राउण्ड .22 राइफल से 5 ग्रुपिंग एवं ऐप्लीकेशन प्रेक्टिस । टारगेट 1'X1' रेन्ज 25 गज ।
- 18 वें सप्ताह में 15 राउण्ड 7.62 एमएम, एस.एल.आर राइफल से 5 ग्रुपिंग, 5 ऐप्लीकेशन एवं 5 स्नेप शूटिंग प्रेक्टिस तथा 15 राउण्ड 303 राइफल से 5 ग्रुपिंग, 5 ऐप्लीकेशन एवं 5 स्नेप शूटिंग प्रेक्टिस टारगेट 4'X4' रेन्ज 100 गज ।

अंतिम परीक्षा फायरिंग

1	.303 राइफल 5 राउण्ड ग्रुपिंग, रेन्ज-100 गज टारगेट 4X4 अंक- 10 (पोजीशन लेटकर) 5 राउण्ड ऐप्लीकेशन, रेन्ज-100 गज टारगेट 4X4 अंक- 10 (नीलिंग पोजीशन) 5 राउण्ड स्नेप शूटिंग रेन्ज-100 गज टारगेट 22 अंक-10 (स्टेन्डिंग पोजीशन)	15	30																												
2	एस.एल.आर. 7.62 एम.एम. 5 राउण्ड ग्रुपिंग, रेन्ज-100 गज टारगेट 4X4 अंक- 10 (पोजीशन लेटकर) 5 राउण्ड ऐप्लीकेशन, रेन्ज-100 गज टारगेट 4X4 अंक- 10 (नीलिंग पोजीशन) 5 राउण्ड स्नेप शूटिंग रेन्ज-100 गज टारगेट 22 अंक-10 (स्टेन्डिंग पोजीशन)	15	30																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ग्रुप इन्ड में</th> <th>2</th> <th>3-4</th> <th>5-6</th> <th>7-8</th> <th>9-10</th> <th>11-12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अंक</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>ऐप्लीकेशन</td> <td>बुल</td> <td>इनर</td> <td>मेगपाइ</td> <td>आउटर</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>अंक</td> <td>2</td> <td>1³/₄</td> <td>1¹/₂</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ग्रुप इन्ड में	2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	अंक	10	9	8	7	6	5	ऐप्लीकेशन	बुल	इनर	मेगपाइ	आउटर			अंक	2	1 ³ / ₄	1 ¹ / ₂	1		
ग्रुप इन्ड में	2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12																									
अंक	10	9	8	7	6	5																									
ऐप्लीकेशन	बुल	इनर	मेगपाइ	आउटर																											
अंक	2	1 ³ / ₄	1 ¹ / ₂	1																											
स्नेप शूटिंग अंक - प्रत्येक 1 हिट गोली के 02 अंक																															
कुल			60																												

विषय: विशिष्ट अभिरूचि

कालांश - 8

प्रशिक्षणाथियों को प्रशिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से अपनी रूचि के किसी एक विशिष्ट कार्यक्षेत्र (विषय) में भाग लेना अनिवार्य है। प्रशिक्षणार्थी उक्त विषय के लिये निर्धारित कालांशों में अपनी रूचि के कार्यक्षेत्र में भाग लेकर विशेष योग्यता विकसित करेंगे एवं व्यावहारिक कार्य से दक्षता प्रदर्शित करेंगे:--

क.सं.	विशिष्ट कार्यक्षेत्र (विषय)
1.	ऐथलेटिक्स
2.	हॉकी
3.	वालीबॉल
4.	बॉस्केटबॉल
5.	नाकाबन्दी कौशल
6.	क्राइमसीन ऑब्जर्वेशन (अपराध घटनास्थल अवलोकन)
7.	प्राथमिक उपचार
8.	वाहन में लगे वायरलेस उपकरण के उपयोगार्थ प्रशिक्षण
9.	VIP Car cade movement and driving